बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 1022(दे0चि0) दिनांक 28.11.2013 द्वारा देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के लिए राज्य के राजकीय आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक) कॉलेज एवं अस्पताल में संविदा/मानदेय के आधार पर कार्यरत प्राध्यापक को 33,000/–(तैंतीस हजार), प्रवाचक को 31,000/–(एकतीस हजार) एवं व्याख्याता को 28,000/–(अठाईस हजार) रू0 मानदेय प्रतिमाह निर्धारित किया गया था एवं विभागीय आदेश संख्या 993(दे0चि0) दिनांक 30.11.2012 द्वारा संविदा/अनुबंध पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों, (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक) का मानदेय रू0 28,000/–(अठाईस हजार) निर्धारित किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या –03/एम0–78/2005–2401/कार्मिक दिनांक 18.07.2007 के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय निर्धारण हेतु अधिकृत समिति की बैठक दिनांक 04.03.2015 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में राज्य में संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्त आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक), चिकित्सकों (एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदागत नियुक्त चिकित्सक सहित) तथा व्याख्याता, प्रवाचक एवं प्राध्यापक का मानदेय की राशि क्रमशः 28,000/–(अठाईस हजार), 31,000/–(एकतीस हजार) एवं 33,000/–(तैंतीस हजार) रू0 से बढ़ाकर निम्न विवरणी के अनुसार मानदेय प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

पदनाम	पूर्व से निर्धारित मानदेय	वर्धित दर पर निर्धारित मानदेय
आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथिक)/चिकित्सक (एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदागत नियुक्त चिकित्सक सहित)/व्याख्याता	28,000/–रू0	30,000/–रू0
प्रवाचक	31,000/–रू0	46,000/–रू0
प्राध्यापक	33,000/–रू0	48,000/–रू0

2. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
3. वर्धित मानदेय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 16/क्यू.2–16/2011– 353(दे0चि0) /पटना, दिनांक– 14/03/2016

प्रतिलिपि – महालेखाकर, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन, बी ब्लाक, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली–110023 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना/प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना/प्राचार्य, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी, आयुष, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक, देशी चिकित्सा के आशुलिपिक/उप निदेशक, आयुर्वेद/प्रशाखा पदाधिकरी–16 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

11/3/16

F:\Ayush\aadesh\Joint Secretary.docx